

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 11 अप्रैल, 1994

सं. फा. 13/3/94-न्याय-II/632.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 8 अप्रैल, 1994 की दिल्ली अनुमति के पश्चात् विभाग सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के मूल्यांकन प्रकाशित किया जा रहा है:—

दिल्ली बिक्री कर संशोधन अधिनियम 1994

(दिल्ली अधिनियम संख्या 3, 1994)

अधिनियम (8-4-94)

दिल्ली विधायी कर अधिनियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के संविधान के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाये:—

1. संक्षिप्त नाम और शीर्षक.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली विधायी कर (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रकाशक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. पैरा 3 का संशोधन.—दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 (1975 का 43) की धारा 3 में उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

(7) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "कर-योग्य माल" से अभिप्राय है—

(क) किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, जो दिल्ली के लिए दिल्ली में किसी माल का आयात करता है

शून्य

(घ) किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, जो विनिर्मित माल के मूल्य का ध्यान रखे बिना विक्रय के लिए माल का विनिर्माण करता है

1,00,000 रुपये

(ग) किसी अन्य व्यापारी के संबंध में

2,50,000 रुपये

परन्तु यदि प्रकाशक की यह राय है कि लेखाओं को रखने में कठिनाई का ध्यान रखते हुए या किसी अन्य पर्याप्त कारण से खंड (बी) या (सी) के अन्तर्गत आने वाले किसी वर्ग के व्यापारियों की याचक कर-योग्य माल में वृद्धि की जानी चाहिए तो प्रकाशक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यापारियों के ऐसे वर्ग के लिए ऐसी कर-योग्य माल जो खण्ड (बी) के लिए 2.50 लाख तथा खण्ड (सी) के लिए 5.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है को नियत करेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा

की संरचना के

द्वारा किए गए

विषयों का

आवर्तन इस

बात का

ध्यान रखे बिना

मनना में

लिखा जाएगा कि

ऐसे

विक्रय इस

अधिनियम के

अधीन

करायेगा है या

नहीं।

3. धारा 19 का संशोधन.—यह अधिनियम की धारा 19 में, "दस रुपये" शब्दों के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, "तीन रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 11th April, 1994

No. F. 13/3/94—Judl. II/632 :—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 8th April, 1994, and is hereby published for general information :—

THE DELHI SALES TAX (AMENDMENT) ACT, 1994

(Delhi Act No. 3 of 1994)

AN ACT (8-4-1994)

further to amend the Delhi Sale Tax Act, 1975

Be it enacted in the Forty-fifth year of the Republic of India by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Sales Tax (Amendment) Act, 1994.

(2) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of Section 3.—In the Delhi Sales Tax Act 1975 (43 of 1975) hereinafter referred to as Principal Act) in Section 3, for sub-section (7) the following sub-section shall be substituted, namely:—

(7) for the purposes of this "Act taxable quantum" means :—

(a) in relation to any dealer who imports for sale any goods into Delhi. —NIL

(b) in relation to any dealer who manufactures goods for sale regardless of the value of goods manufactured —Rs. 1,00,000

(c) in relation to any other dealer—Rs. 2,50,000

Provided that if the Administrator is of the opinion that having regard to the difficulty in maintaining accounts or for other sufficient cause the taxable quantum in respect of any class of dealers falling under clause (b) or (c) should be increased, the Administrator may, by notification in the Official Gazette, fix in respect of such class of dealers such taxable quantum not exceeding Rs. 2.50 lac for clause (b) and Rs. 5.00 lac for clause (c) as may be specified in the notification.

Explanation :—For the purpose of computation of taxable quantum under sub-section (7), the turnover of sales effected by a dealer shall be taken into account irrespective of whether such sales are taxable under this Act or not.

3. Amendment of Section 39:—In Section 39 of the Principal Act, for the words "ten rupees" wherever they occur, the words "one hundred rupees" shall be substituted.

नं. फा. 13/5/94-भाषा/II/633.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) (संशोधन) अधिनियम,
1994

दिल्ली अधिनियम संख्या 5, 1994

अधिनियम (8-4-1994)

भारत गणतन्त्र के 45वें वर्ष में यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) यह अधिनियम दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहलाएगा।

(2) यह उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के लिए इसकी तारीख निर्धारित करेगी।

2. धारा 3 का संशोधन.—दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1964 (इसके बाद मुख्य अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में धारा 3, उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित उपधारा अन्तर्विष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

(1-क) "किसी शक्ति, प्राधिकार या क्षेत्राधिकार या कोई कार्य जिससे प्रशासक अनुसूची के बालम-1 में भाग सं. 6 से 11 पर उल्लिखित किसी अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उसके द्वारा प्रयोग या निर्वहन करेगा

तथा शासकीय राजपत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासकीय अधिसूचना द्वारा इस संघ में या तथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा भी प्रयोग या निर्वहन की जाएगी।"

3. अनुसूची का संशोधन.—मुख्य अधिनियम की अनुसूची में कम सं. 5 के बाद निम्नलिखित क्रम संघाओं और उनकी प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट की जाएंगी, अर्थात् :—

अधिनियम का नाम	प्रशासक में शक्तियां निहित करने वाले प्रावधान	अधिकारी अथवा प्राधिकारी जो शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे
6. दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 1972 (1972 की संख्या 35)	धारा 31(7), 76 (2) (घ) एवं (ग) और धारा 30	वित्तीय आयुक्त
7. पंजाब उत्पाद अधिनियम, 1914 (1914 पंजाब अधिनियम की सं. 1) दिल्ली में लागू	धारा 15	वित्तीय आयुक्त
8. बंग जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	धारा 14	मुख्य सचिव
9. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	धारा 6 ग	वित्तीय आयुक्त
10. पूर्व पंजाब आयु-वैदिक तथा यूनानी पद्धति का औपध अधिनियम, 1949 (पंजाब अधिनियम, 14—1949) दिल्ली में लागू	धारा 5	वित्तीय आयुक्त
11. दिल्ली नसिग हॉम पंजीकरण अधिनियम, 1953 (1953 का दिल्ली अधिनियम 6)	धारा 8(3)	वित्तीय आयुक्त